

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 398] No. 398] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 8, 2016/कार्तिक 17, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 8, 2016/KARTIKA 17, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2016

फा.सं. आई.डब्ल्यू.टी.-11011/26/2016-आई.डब्ल्यू.टी.- प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ गठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) (संशोधन) विनियम, 2016 है।
 - (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 3 के उपविनियम (1) में, -
 - (i) खंड (ग) में, "7 मीटर" अंक और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "6 मीटर" अंक और शब्द रखा जाएगा:
 - (ii) खंड (घ) में, "10 मीटर" अंक और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "8 मीटर" अंक और शब्द रखा जाएगा;
 - (iii) खंड (ड.) में, "10 मीटर" अंक और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "8 मीटर" अंक और शब्द रखा जाएगा;
 - 3. मूल विनियम के विनियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"6. राष्ट्रीय जलमार्ग में या उसके आसपास किसी संरचना का सन्निर्माण प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित अभिकरण या संगठन, इन विनियमों से उपाबद्ध प्रारूप में आवेदन करके प्राधिकरण से अनापत्ति अभिप्राप्त करेगा :

परंतु यदि प्राधिकरण से इस संबंध में, प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो अभिकरण या संगठन, इन विनियमों के अधीन आवेदन में यथा प्रस्तावित संरचना का सन्निर्माण प्रारंभ कर सकेगा।"

4. मूल विनियम में, उपाबंध के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रारूप"

	प्राधिकरण से संर	चना हेतु अनापत्ति प्राप्त	करने का प्रारूप			
1.	प्रस्तावित संरचना का स्थान					
2.	राष्ट्रीय जलमार्ग	ii.				
3.	अधिसूचित वर्ग	:				
4.	संरचना के प्रकार	a 14				
5.	स्तंभों के बीच क्षैतिज निकासी	:				
6.	ऊर्ध्वाकार निकासी (नौचालन संबंधी उच्च बाढ़ स्तर से ऊपर)	The state of the s				
7.	निकटतम विद्यमान संरचना से दूरी, यदि कोई हो					
8.	यदि ऐसा है तो क्या स्तंभ एक सीध में है अथवा नहीं	*				
9.	प्रवाह की दिशा के अनुरूप संरचना की तिर्यकता	1				
10.	सन्निर्माण की प्रस्तावित अवधि		90			
	(इस प्रारूप के साथ क्षैतिज निकासी, ऊर्ध्वाकार निकासी और स्थल मानचित्र को स्पष्टत: इंगित करने वाले आवश्यक साधारण					
	ठहराव का खाका प्रस्तुत करें)					
		घोषणा				
	अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप					
	किया जाएगा।			(
			अधिकारी का नाम	(हस्ताक्षर)		
			Service and Control of the Control o	:		
	तारीख :					

प्राप्त किया।

	अभिस्वीकृति	
(यहाँ र	प्तिर्माण के ब्यौरे दें) के लिए आवेदन	सं (तारीख)

(हस्ताक्षर) (प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

> त. साई अमूथा देवी, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./291 (374)]

टिप्पणी : भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भारत में अन्तर्देशीय जलमार्गों का वर्गीकरण) विनियम, 2006, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, तारीख 20 जनवरी, 2007 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SHIPPING

(INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2016

- F. No. IWT-11011/26/2016-IWT.— In exercise of the powers conferred by section 35 read with clause (g) of sub-section (2) of section 14 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Authority with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations 2006, namely:-
- 1. Short title and commencement (1) These regulations may be called the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) (Amendment) Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Inland Waterways Authority of India (Classification of Inland Waterways in India) Regulations, 2006, hereinafter referred to as principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (1),-
 - (i) In clause (c), for the figure and word "7 meter" at both places where they occur the figure and word "6 meter" shall be substituted;
 - (ii) In clause (d), for the figure and word "10 meter" at both places where they occur the figure and word "8 meter" shall be substituted;
 - (iii) In clause (e), for the figure and word "10 meter" the figure and word "8 meter" shall be substituted;
- 3. In the principal regulations, for regulation 6, the following regulation shall be substituted, namely:-
 - "6. Before start of construction of any structure in or across a national waterway, the concerned agency or organization shall obtain clearance from the Authority by applying in the form annexed to these regulations:
 - Provided that, if no communication in this respect is received from the Authority, within forty five days from the date of receipt of the application by the Authority,

Office seal

the agency or the organization may proceed with the construction of the structure as proposed in the application under these regulations".

4. In the principal regulations, for the Annex, the following shall be substituted, namely:-

FC	ORM				
			MOTUBER PROMINE		
FC		FOR GETTING CLEARANCE FOR STRU Location of the proposed structure	UCTURES FROM AUTHO	RITY	
		National Waterway			
		Notified Class			
	4.	Type of structure			
	5.	Horizontal clearance between piers			
	6.	Vertical clearance			
		(above Navigational High Flood Level)			
	7.	Distance from the nearest			
		existing structure, if any,			
	8.	If so, whether the alignment of	1		
		Piers is in the same line or not?			
	9.	Obliquity of the structure with respect			
		to direction of flow			
	10.	Proposed period of construction	-		
	(N	ecessary general arrangement drawing clear	ly indicating horizontal clea	rance, vertical	clearance and
		ation map to be submitted with this form)			
		DECLAR	RATION		= 100 11500
	me cle wit	On behalf of (Name of agency/organization tioned structure will commence only after arance is received with 45 days from the Ath the provisions contained in the Inland Waterways Authority of India (Classification)	obtaining necessary clearar Authority, the construction vaterways Authority of India	nce from the A will be carried Act, 1985 (82	uthority and if no out in conformity of 1985) and the
				90	(Signature)
			Name	of the Officer	:
				Designation	:

Date :